



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092025-266338
CG-DL-E-24092025-266338

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4210]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/ आश्विन 1, 1947

No. 4210]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2025

का.आ. 4328(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1857-E तारीख 24/04/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के ब्यावर / अजमेर जिले में NH8 के कि.मी. 58.245 से कि.मी.108.600 तक भूखण्ड पर चार लेनिंग के पक्के शोल्डर का उन्नयन खंड, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 21.05.2025 टाईमस ऑफ इंडिया एवं दैनिक नवज्योति दिनांक 23.05.2025 में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के ब्यावर / अजमेर जिले में NH8 के कि.मी. 58.245 से कि.मी.108.600 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: ब्यावर / अजमेर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: ब्यावर					
गांव का नाम: चिलियाबड					
1	2041/1822	सरकारी	गेर मुमकिन पहाड़ी	0.1685	राजस्थान सरकार
गांव का नाम: जवाजा					
2	2772/1265	निजी	गेर मुमकिन आबादी	0.2414	ग्राम पंचायत जवाजा
गांव का नाम: कलात खेडा					
3	900/301	सरकारी	गेर मुमकिन पहाड़ी	0.042	राजस्थान सरकार
4	905/302	सरकारी	गेर मुमकिन पहाड़ी	0.2168	राजस्थान सरकार
5	912/311	सरकारी	गेर मुमकिन पहाड़ी	0.1544	राजस्थान सरकार
Total				0.8231	

[फा. सं. RW/NH-37014/2/2012-NHDP-IVA/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2025

S.O. 4328(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 1857-E Dated:24/04/2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Up gradation to 4 lane with paved shoulder from Km 58/245 To 108/600 Maintenance, management and operation of NH8 in the stretch of land in the district of BEAWAR in the state of RAJASTHAN

And whereas the substance of the said notification has been published in Times of India dated 21 May 2025 and Dainik Navajyoti Dated 23 May 2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH8 in the stretch of land from Km. 58.245 to Km. 108.600 in the district of BEAWAR in the state of RAJASTHAN

State: RAJASTHAN			District: BEAWAR/ AJMER		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Beawar					
Village: Chiliyabadh					
1	2041/1822	Government	Ger Mumkin Pahadi	0.1685	Rajasthan Government
Village: Jawaja					
2	2772/1265	Private	Ger Mumkin Aabadi	0.2414	Gram Panchayat Jawaja
Village: Kalat Khera					
3	900/301	Government	Ger Mumkin Pahadi	0.042	Rajasthan Government
4	905/302	Government	Ger Mumkin Pahadi	0.2168	Rajasthan Government
5	912/311	Government	Ger Mumkin Pahadi	0.1544	Rajasthan Government
Total				0.8231	

[F. No. RW/NH-37014/2/2012-NHDP-IVA/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director